



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272797
CG-DL-E-22052026-272797

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 2523]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2615(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3469 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii), दिनांकित क्रमशः 13 जुलाई, 2018 में प्रकाशित की गयी थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संसोधन किया जाया है।

पुर्वोक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में "आसिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टोरेट, बौद्ध" के बदले "डेपुटी कलेक्टर, कलेक्टोरेट, बौद्ध" शब्द अतः स्थापित किया जाता है।

पाद टिप्पणी :- मूल अधिसूचना संख्या का.आ 469 (अ), दिनांक दिनांक 13 जुलाई, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड -(ii) में क्रमशः दिनांक दिनांक 13 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. RO/BBSR/11011/57/ORS/16-17/586/SMBP/24/392/2016/3a/Corr.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 7th May, 2026

S.O. 2615(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O. 3469(E) dated 13th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, sub-section 3(ii), dated 13th July, 2018, namely:-

In the preamble of the aforesaid notification "Assistant Collector, Collectorate, Boudh" the words "Deputy Collector, Collectorate, Boudh" shall be substituted.

Foot Note:- The principal Notification was published vide S.O. 3469(E) dated 13th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 13th July, 2018.

[F. No. RO/BBSR/11011/57/ORS/16-17/586/SMBP/24/392/2016/3a/Corr.]

SHAIKH AMINKHAN, Director